तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील मु० नं० 92/22	
[illegible]12/23	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पो० की तामिल जरिए रजि० भेजी गई थी जिसको एक माह से अधिक का समय हो चुका है। रेस्पो० बावजूद तामिल अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलाई गई जिसके बावजूद कोई उपस्थित नही। अत: रेस्पो० के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाती है। बहस वकील अपीलान्ट एक पक्षीय सुनी गई एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर मे स्थित भूमि ख० नं० 719 रकबा 0.21 हे० राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जिसकी खातेदारी अपीलान्ट व अन्य सहखातेदार के दर्ज रिकार्ड है। अपील में अंकित किया है कि भूमि ख० नं० 938/719 रकबा 0.0896 हे० रास्ते की भूमि में हडिया डालकर रास्ते को अवरुद्ध कर रखा है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि रेस्पो० ने दिनांक 9-11-22 को पारित निर्णय बिना सुने एवं बिना पूर्ण सुनवाई का अवसर दिए बिना किया है। पटवारी हल्का द्वारा जो मौका रिपोर्ट तैयार कि गई है वो भी अपीलान्ट को बिना सूचना के कि गई है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना नही दी गई। पत्रावली में मु० नं० 12/2022 उनवानी सुरेन्द्र बनाम बिमला जाति जाट निवासी अजमेरी में अप्रार्थीगण शिम्भू पुत्र कजोड व धापली पत्नी कजोड कि तामिल पर फौत अकंन होकर प्राप्त हुई बताई है। [illegible] पटवारी हल्का को दिनांक 21.11.22 को [illegible] रिपोर्ट ली गई जिसमे [illegible] होना बताया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो दिनांक 9-11-2022 को जो नि[illegible] पारित किया गया जिसमे शिम्भू व धापली के बाबत फौत होना कही भी अकंन नही किया गया है। जबकि निर्णय में बिन्दु सं 3 मे भी इनका नाम	

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
[illegible] जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:12:13 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व ... जो ... तामील...
	रास्ता अवरुद्ध करने वालो में बताया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है जिसके शीर्षक में भी फौत होने का कही अंकन नही किया है। जो विधि – विरुद्ध है। जिससे यह स्पष्ट साबित होता है कि जो निर्णय पारित किया उस समय रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन नही किया गया है। जो सन्देहप्रद प्रतीत होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है जिसमें सीमा का कोई अंकन दर्ज नही किया गया है। जबकि सीमा का अंकन किया जाना आवश्यक था। अधिनस्थ न्याया० द्वारा जो निर्णय पारित किया है जिसमे कई त्रुटिया पाए जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 9-11-22 को जो निर्णय पारित किया गया है जिसको अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।	
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 9-11-22 को पारित किया गया निर्णय अपास्त किया जाता है। अपील अपीलार्थी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जावे एवं पत्रावली मे उपलब्ध समस्त दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया जाकर व मौके पर अपीलार्थी की उपस्थिति में सीमा का नाप [illegible] सही किया जाकर अपना निर्णय पुनः पारित करें। पालना हेतु तहसीलदार [illegible] तहरीर जारी कि जावे। पत्रावली [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:12:13 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना